प्रेषक,
निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515001010700–24

सेवा में,
जिला पंचायत राज अधिकारी,
अम्बेडकर नगर।

संख्याः 1/शा0/22/2015–1/95/2015 लखनऊः दिनांक 27 मई, 2015

विषयः **वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनागत मद में जनपद अम्बेडकर नगर में लोहिया भवन के निर्माण हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि रू0 688.00लाख का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 15/2015/1273/33–3–2015–31/2005टीसी दिनांक 15 मई, 2015 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में जनपद अम्बेडकर नगर में लोहिया भवन के निर्माण हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि **रू0–688.00 लाख के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि रू0–688.00 लाख (रूपया छः करोड़ अट्ठासी लाख मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2 आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2/2015/बी–1–925/दस–2015–231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या– 14 के लेखाशीर्षक **"4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–101–पंचायती राज–07–जनपद अम्बेडकर नगर में लोहिया भवन का निर्माण–24–वृहत् निर्माण कार्य"** के नामें डाला जायगा।

5– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

6— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

7— आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

8— किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

9— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—100 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

26.5.15

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/22/1/2015 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
2— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
4— परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0, राजकीय निर्माण निगम, इंजीनियरिंग कालेज, इकाई सद्दरपुर, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
5— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
6— जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
7— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
8— उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
9— उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10— एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-27/05/2015

प्रेषण संख्या:- 1-sha-22-2015-1-95-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-95-2015

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

07 - जनपद अम्बेडकर नगर में लोहिया भवन का निर्माण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत निर्माण कार्य	योग
1	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	68800000 68800000	68800000 68800000
	योग	वर्तमान प्रगामी	68800000 68800000	68800000 68800000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः करोड़ अठासी लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ अठासी लाख

(महेन्द्र नारायण)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी